न्यायालय सैशन न्यायाधीश, टोंक (राज0)

आपराधिक विविध प्रकरण सीआईएस नं : 371/2026

देवराज पुत्र मोरपाल, उम्र 22 साल, निवासी बमोर गेट, गुर्जर बस्ती, टोंक थाना पुरानी टोंक, जिला टोंक, राज0।

——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

——अप्रार्थी/अभियोगी

आपराधिक विविध प्रकरण सीआईएस नं : 381/2026

हिमांशू धवन पुत्र भगवानदास, उम्र 21 साल, निवासी एनबीएस कॉलोनी थाना पुरानी टोंक, जिला टोंक, राज0।

——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

——अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस, एफआईआर नं. 68/2026, पुलिस थाना पुरानी टोंक, जिला टोंक, धारा 305–ए, 331(4), बीएनएस,

.....

पीठासीन अधिकारीः **डॉ. सीमा अग्रवाल**
RJS (DJ Cadre)

उपस्थितः

1. प्रार्थी/अभियुक्त देवराज की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार गुप्ता
2. प्रार्थी/अभियुक्त हिमांशु की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश शर्मा
3. श्री राजकिशोर गुर्जर, लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश . दिनांक : 01.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा उक्त दोनों जमानत के आवेदन पृथक–पृथक पेश किये गये हैं। इन जमानत आवेदनों पत्र की प्रति योग्य लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर पत्रावली तलब की गई। दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है, तथ्य समान हैं, इसलिए सुविधा की दृष्टि से दोनों का निस्तारण वर्तमान आदेश के माध्यम से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न रखी जावे। सुना गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.04.2026 को परिवादी जितेन्द्र कुमार ने एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि कल रात्रि को परिवार सहित शादी मे गया था। वापस घर आया तो कमरे का ताला टूटा मिला व कमरे मे आलमारी से उसकी पत्नी के गहने अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये गये। चोरी हुए सामान में ढाई तोला का हार, एक जोडी कान के टोप्स 4 ग्राम, दो चांदी की चेन, एक सोने के मोतियों की माला है आदि

आदि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 68/2026 धारा 305–ए, 331(4), बीएनएस में पंजीबद्ध की जाकर अन्वेषण किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उनके विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसकी सजा आजीवन कारावास व मृत्युदण्ड हो। वह दिनांक 20.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगना संभाव्य है। इसलिए प्रार्थीगण को बर जमानत रिहा किया जावे। जिसका विद्वान योग्य लोक अभियोजक ने विरोध किया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **देवराज व हिमांशु** का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न है–

क्र. सं.	**एफ.आई.आर. मय दिनांक**	**पुलिस थाना**	**धारा**	**चार्जशीट**
1	**निल**	**निल**	**निल**	**निल**

उभय पक्षों के तर्को को सुना गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुलिस ने बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 305–ए, 331(4) बीएनएस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित माना है। उक्त अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण इस प्रकरण में दिनांक 20.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगना स्वभाविक है। प्रार्थीगण के आपराधिक रिकार्ड के अनुसार उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण **देवराज व हिमांशु धवन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर, आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्तगण में से प्रत्येक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद 25 हजार रूपये का मुचलका व 25 हजार रूपये राशि की फोटोचस्पां मौतबिर जमानत पेश कर, तस्दीक करवा दी जावे तो उन्हें मौजूदा मामले में जमानत पर मुक्त कर दिया जाये।

सैशन न्यायाधीश,
टोंक

आदेश आज दिनांक 01–06–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

सैशन न्यायाधीश,
टोंक